Study Material For Boiler Operation Engineer (BOE) Exams

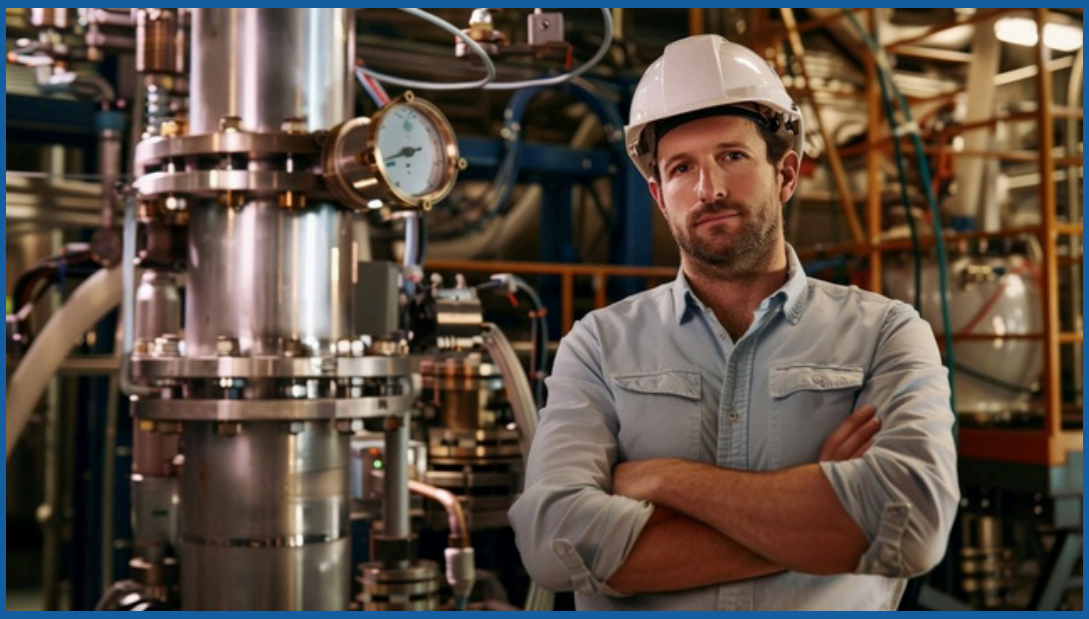

Theory, Numerical Problems, MCQs and Boiler Drawing Problems from BOE Exams

Amazon Flipkart Pothi

PROENGR.IN

SUDESH K JAIN

No. P-30012/2/2020-Boiler
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPTT. FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE)
Industrial Safety Wing
(Boiler Division)
******

UDYOG BHAWAN, NEW DELHI-110 011
दिनांक/Dated the 23rd February, 2021

To

1. All State Governments
   (as per list)
2. All the members of Central Boilers Board
   (as per list)

Subject: The Gazette of India (Extraordinary)-Notification No. G.S.R. 115(E) dated 16th February, 2021 regarding –the Boiler Operation Rules, 2021

Sir/Madam,

I am directed to forward herewith a copy of the Gazette of India (Extraordinary)-Notification No. G.S.R. 115(E) dated 16th February, 2021 notifying the Boiler Operation Rules, 2021 for your reference and necessary action at your end.

Yours faithfully,

23/02/2021

(S. K Jain)
Development Officer &
Assistant Secretary, Central Boilers Board
Tele: 011-23063166
Email: sushilk.jain@nic.in

Encl: as above

300389/2021/BOILER

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022021-225233
CG-DL-E-17022021-225233

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 2021/माघ 28, 1942
No. 76] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 2021/MAGHA 28, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फ़रवरी, 2021

सा.का.नि. 115(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 28क की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (1क) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम, 2011 को उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बायलर प्रचालन नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) अभिप्रेत है;

(ख) "बायलर प्रचालन इंजीनियर" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अधीन बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है;

(ग) "अध्यक्ष" से समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) "समिति" से इन नियमों के अधीन गठित परीक्षक समिति अभिप्रेत है;

(ङ) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(च) "सरकार" से राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन अभिप्रेत है;

(छ) "सचिव" से समिति का सचिव अभिप्रेत है;

(ज) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(झ) इन नियमों में किसी बायलर या बायलरों के प्रति प्रत्येक निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि इसके अंतर्गत इकानामाईजर या इकानामईजरों के प्रतिनिर्देश है ।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द और पद, किंतु जो परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है ।

अध्याय 2

साधारण

3. बायलर के प्रचालन का पर्यवेक्षक.—किसी एकल बायलर या बैटरी में जुड़े हुए दो या अधिक बायलरों या किसी अन्य दशा में एक हजार वर्गमीटर से अधिक कुल ऊष्मा वाले 50 मीटर की परिधि के भीतर स्थित पृथक् व्यष्टिक बायलरों का स्वामी तब तक उसका उपयोग नहीं करेगा या उसके उपयोग की अनुज्ञा नहीं देगा जब तक बायलर या बायलरों को, इन नियमों में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी संख्या में बायलर परिचालकों के अतिरिक्त नियम 4 में विनिर्दिष्ट सक्षम व्यक्ति के प्रत्यक्ष प्रभार में न रखा जाए :

परंतु मुख्य निरीक्षक, इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी बायलर परिचालक को तीन मास की अधिकतम अवधि के लिए बायलर का प्रभारी बने रहने की अनुज्ञा दे सकेगा :

परंतु यह और कि इन नियमों की कोई बात, बायलर परिचर नियम, 2011 के अधीन प्रदत्त प्रथम श्रेणी सक्षमता प्रमाण पत्र धारण करने वाले किसी व्यक्ति को हाजिर होने और किसी आकार के बायलर या बायलरों के भारसाधक होने से विवर्जित नहीं करेगी और इन नियमों प्रयोजन के लिए ऐसा कोई प्रमाण पत्र इन नियमों के अधीन प्रदत्त किया गया समझा जाएगा ।

4. सक्षम व्यक्ति प्रमाण पत्र रखेगा और अर्हता को बढ़ाना.—किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास इन नियमों के अधीन बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र नहीं है, नियम 3 में अधिकथित सीमाओं वाले बायलर या बायलरों का प्रभार धारण करने के लिए उचित और उपयुक्त व्यक्ति नहीं समझा जाएगा ।

5. प्रमाण पत्र का प्रस्तुत किया जाना.—इन नियमों के अधीन प्रवीणता प्रमाण पत्र धारण करने वाला बायलर प्रचालन इंजीनियर, जब उससे, अधिनियम के अधीन प्रदत्त किसी प्रमाण पत्र या अनंतिम आदेश प्रस्तुत करने हेतु मांग करने के लिए धारा 15 के अधीन सशक्त व्यक्तियों में से किसी के द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाता है तो उसके प्रभार या हाजिरी में किसी बायलर की अवधि के दौरान सभी युक्तियुक्त समयों पर ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध होगा ।

6. स्वामी द्वारा बायलर मुख्य निरीक्षक या निदेशक को प्रमाण पत्र की विशिष्टियां प्रस्तुत करना.—(1) किसी बायलर का स्वामी, जो किसी व्यक्ति को उसका भारसाधक नियुक्त करता है, ऐसी नियुक्ति के सात दिन के भीतर यथास्थिति बायलरों के मुख्य निरीक्षक या निदेशक को ऐसे व्यक्ति की पूर्ण विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत उसके प्रमाण पत्र की क्रम संख्या, तारीख और जारी करने का स्थान भी है, प्रस्तुत करेगा ।

(2) किसी बायलर का ऐसा स्वामी, जो किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के स्थान पर, जो उपनियम (1) के अधीन उक्त बायलर का भारसाधक था, ऐसे व्यक्ति द्वारा अपना नियोजन छोड़े जाने की दशा में या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की दशा में, ऐसे बायलर का प्रभार लेने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है, यथास्थिति बायलरों के मुख्य निरीक्षक या निदेशकों को सात दिन के भीतर उस तथ्य की रिपोर्ट करेगा ।

7. हाजिरी, अनुतोष की दैनिक अवधि की सीमाएं और कार्रवाई का अधिकार—(1) किसी व्यक्ति को, जो किसी बायलर भार साधक है, जब वह ऐसे बायलर के 100 मीटर के भीतर शारीरिक रूप से उपस्थित हो, तो उसका प्रत्यक्ष और अव्यवहित प्रभारी समझा जाएगा ।

(2) किसी व्यक्ति को, जो किसी बायलर भार साधक है, जिसके लिए इन नियमों के अधीन प्रवीणता प्रमाण पत्र अपेक्षित है, दो से अनधिक अवधियों के लिए किसी एक दिन में भार से भारमुक्त किया जा सकेगा जो, बायलर परिचारक के रूप में प्रथम श्रेणी सक्षमता प्रमाण पत्र धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा संयोजित करने पर दो घंटे से अधिक नहीं होगी ।

(3) बायलर परिचारक के रूप में प्रथम श्रेणी सक्षमता प्रमाण पत्र का धारक, यथास्थिति, बायलरों के मुख्य निरीक्षक या निदेशक की लिखित सहमति से बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र धारण करने वाले व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए भारमुक्त कर सकेगा जो निरंतर दस दिन के लिए विस्तारित की जा सकेगी, जिसे विशेष परिस्थितियों में बायलर का मुख्य निरीक्षक या निदेशक किसी एक समय पर अधिकतम तीस दिन के लिए विस्तारित कर सकेगा ।

8. बायलर को कब उपयोग में समझा जाएगा.— (1) इन नियमों के प्रयोजन के लिए बायलर को तब उपयोग में समझा जाएगा जब बायलर में या अग्नि पुंज दशा के अधीन, पानी गरम करने के प्रयोजन के लिए भट्टी अग्निबाक्स या अग्नि स्थान में अग्नि होती है :

परंतु किसी बायलर को उपयोग में नहीं समझा जाएगा जब अग्नि को हटा दिया गया हो और संपूर्ण वाष्प और जल संयोजन बंद कर दिए गए हों ।

(2) इन नियमों के प्रयोजन के लिए किसी इकानामाईजर या अपशिष्ट ऊष्मा बायलर को तब उपयोग मे समझा जाएगा जब उसमें इकानामाईजर या अपशिष्ट ऊष्मा बायलर से होकर फ्लू गैसें या अन्य तापन मीडिया प्रवाहित होते हैं और पानी और तापन गैस या मीडिया के बीच पर्याप्त ऊष्मा अंतरण होता है ।

अध्याय 3

परीक्षक समिति

9. परीक्षक समिति का गठन.—(1) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए परीक्षक समिति का, बायलरों के मुख्य निरीक्षक या निदेशक, उप मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक अथवा बायलरों के मुख्य निरीक्षक या निदेशक द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट समतुल्य व्यक्ति और सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त किए जाने वाले तीन से अन्यून ऐसे सदस्यों से मिलकर गठन किया जाएगा जिन्हें प्राइम मूवर और आधुनिक बायलर पद्धतियों का शैक्षिक और व्यवहारिक ज्ञान हो ।

(2) उपनियम (1) में अतंर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय स्तर पर भी परीक्षक समिति का गठन किया जा सकेगा, जिसमें भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के बायलर खंड में कार्य करने वाले तकनीकी सलाहकार, तकनीकी अधिकारी और सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त किए जाने वाले तीन से अन्यून ऐसे सदस्य जिन्हें प्राइम मूवर और आधुनिक बायलर पद्धतियों का शैक्षिक और व्यवहारिक ज्ञान हो, सम्मिलित होगें ।

(3) बायलरों का मुख्य निरीक्षक या निदेशक, जैसा भी मामला हो, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में गठित समिति का पदेन अध्यक्ष और उप मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक अथवा बॉयलर के मुख्य निरीक्षक या निदेशक, जैसा भी मामला हो, द्वारा नामित समतुल्य व्यक्ति इस समिति का पदेन सचिव होगा तथा केंद्रीय स्तर पर गठित समिति में, तकनीकी सलाहकार पदेन अध्यक्ष तथा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के बॉयलर अनुभाग में कार्यरत तकनीकी अधिकारी इसका पदेन सचिव होगा।

10. सदस्यों की पदावधि.— (क) समित के पदेन सदस्यों से भिन्न प्रत्येक सदस्य की पदावधि तीन वर्ष की होगी ।

(ख) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए गठित समिति में, यदि कोई सदस्य स्थायी रूप से राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को छोड़ देता है/देती है या समिति की अनुज्ञा के बिना लगातार तीन बैठकों से स्वयं को अनुपस्थित रखता है/रखती है

तो यह समझा जाएगा कि उसने समिति से अपना स्थान खाली कर दिया है और उसकी अवधि के अनवसित भाग के लिए उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकेगी ।

(ग) केंद्रीय सरकार स्तर पर गठित समिति में, यदि समिति की अनुज्ञा के बिना लगातार तीन बैठकों से स्वयं को अनुपस्थित रखता है/रखती हे तो यह समझा जाएगा कि उसने समिति से अपना स्थान खाली कर दिया है और उसकी अवधि के अनवसित भाग के लिए उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकेगी ।

11. समिति के कृत्य.— परीक्षक समिति-

(i) बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए स्वयं या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण के माध्यम से अभ्यर्थियों की परीक्षा और व्यवहारिक परीक्षा का संचालन करेगी;

(ii) किसी व्यक्ति को किसी परीक्षा के प्रश्नपत्र सेटर या परीक्षक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार होगा;

(iii) सफल अभ्यर्थीयों को बायलर प्रचालक इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान करेगी; और

(iv) धारा 45 के अधीन जांच रिर्पोटों पर विचार करेगी ।

12. समिति की बैठक.— नियम ((9) के अधीन गठित समिति की, उसके कारबार के संव्यवहार के लिए, जितनी बार अध्यक्ष की राय हो ऐसे स्थान और समय पर जो अध्यक्ष विनिश्चित करे, बैठक की जाएगी ।

13. बैठक की सूचना और कारबार की सूची.— (1) समिति के प्रत्येक सदस्य को उक्त समिति की प्रत्येक बैठक के लिए निश्चित समय और स्थान के बारे में कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना, ऐसी सूचना के साथ बैठक में विचार-विमर्श किए जाने वाले कारबार की सूची संलग्न करते हुए, दी जाएगी:

परंतु यदि अध्यक्ष किसी ऐसे विषय पर, जो उसकी राय में अत्यावश्यक है, विचार करने हेतु कोई बैठक बुलाता है तो सूचना देने के लिए ऐसे युक्तियुक्त समय को, जो वह आवश्यक समझे, पर्याप्त समझा जाएगा;

(2) किसी ऐसे कारबार पर, जो कारबार सूची में सम्मिलित नहीं है, अध्यक्ष की अनुमति के बिना बैठक में विचार नहीं किया जाएगा ।

14. गणपूर्ति.— परीक्षक समिति के अध्यक्ष या सचिव और दो सदस्य, बैठक के लिए गणपूर्ति होगी ।

15. अध्यक्ष द्वारा बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करना.— अध्यक्ष समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

16. समिति के सचिव के कृत्य.— सचिव, प्रवीणता प्रमाण पत्र धारण करने वाले बायलर प्रचालन इंजीनियरों का रजिस्टर रखेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो नियमों में विनिर्दिष्ट किए गए हों या जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निदेशित किए गए हों ।

17. आवेदन पर समितियों का पृष्ठांकन.— समिति प्रत्येक अभ्यर्थी के मुद्रित आवेदन पत्र पर बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र के लिए उसके परीक्षा का परिणाम पृष्ठांकित करेगा । पृष्ठांकित आवेदन, सचिव को वापस लौटा दिया जाएगा ।

18. समिति का प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार करने की शक्ति.— समिति, किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जो उपस्थित सदस्यों के बहुमत की राय में, अत्यधिक वृद्ध है या अंग विकार, स्वास्थ्यकर कमजोरी, त्रुटिपूर्ण दृष्टिशक्ति, बहरेपन, या किसी अंग की हानि के कारण बायलर प्रचालन इंजीनियर के कर्तव्यों का पालन करने में शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा और जहां अभ्यर्थी आरोग्य, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो समिति को बायलर इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार करने की शक्ति होगी ।

19. परीक्षक फीस.— अध्यक्ष और सचिव और परीक्षक तथा अधीक्षक के सिवाय नियम 9 के अधीन नियुक्त परीक्षक समिति के प्रत्येक सदस्य, इन नियमों के अधीन परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए फीस प्राप्त करने के हकदार होंगे और फीस की दर निम्नलिखित होगी :-

(क) समिति की बैठक के लिए बैठक फीस (गैर शासकीय सदस्यों के लिए)	रु. 1000/-
(ख) प्रश्नपत्र तैयार करने के लिए	रु. 3500/-
(ग) उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए	रु. 50/- (प्रति उत्तर पुस्तिका)
(घ) अभ्यर्थी की परीक्षा के लिए	रु. 150/- (प्रति अभ्यर्थी)
(ङ) अधीक्षण फीस (प्रति अधीक्षक)	(i) रु. 600/- (यदि परीक्षा 3 घंटे से अधिक की है)
	(ii) रु. 300/- (यदि परीक्षा 3 घंटे से कम की है)

20. समिति की कार्रवाइयां— समिति की कोई कार्रवाई, समिति के गठन में किसी त्रुटि के कारण या ऐसी कार्रवाई समिति में किसी रिक्ति की अवधि के दौरान किए जाने के कारण अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी ।

अध्याय 4

परीक्षा

21. परीक्षा.— समिति द्वारा या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा, बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए परीक्षा, ऐसे स्थान पर और ऐसी तारीखों पर जो समिति द्वारा, समय-समय पर विनिश्चित की जाएं, आयोजित की जाएगी ।

22. परीक्षा का स्थगन.— जब परीक्षा के लिए नियत तारीख को राजपत्रित छुट्टी के रूप में घोषित कर दिया जाता है या जब किसी अकल्पित कारण से नियत तारीख को परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है तो अध्यक्ष, परीक्षा करवाने के लिए कोई अन्य तारीख नियत कर सकेगा और उसे अभ्यर्थियों को और परीक्षक समिति के सदस्यों को सम्यक् रूप से सूचित किया जाएगा ।

अध्याय 5

प्रमाण पत्र

23. प्रमाण पत्र धारकों की सामर्थ्यता.— (1) बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र उसके धारक को किसी भी प्रकार और किसी भी आकार के बायलर या बायलरों का भार साधक होने के लिए अर्हित करेगा परंतु यह तब जबकि बायलरों की स्थिति इस प्रकार हैं कि उनमें से किसी की भी दूरी आपस में पचास मीटर के घेरे से अधिक नहीं है ।

(2) बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र का धारक सभी आशयों और प्रयोजनों के लिए बायलर परिचर नियम, 2011 की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला समझा जाएगा :

परंतु उक्त नियमों की अधिसूचना की तारीख से पूर्व सरकार द्वारा जारी बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में राजपत्र में बायलर प्रचालक नियम, 2021 के प्रकाशन से पूर्व प्रवीणता प्रमाणपत्र धारण करने वाला कोई बायलर प्रचालन इंजीनियर, प्रवीणता प्रमाणपत्र में यथावर्णित बायलर (बायलरों) का भारसाधक होने का पात्र होगा ।

24. प्रमाणपत्र की विधिमान्यता.— किसी समिति द्वारा अभ्यर्थी को बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रदत्त प्रवीणता प्रमाण-पत्र सम्पूर्ण भारत में विधिमान्य होगा, बशर्ते कि प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र धारण करने वाला कोई व्यक्ति संबद्ध सरकार के बायलरों के मुख्य निरीक्षक या निदेशक को, जिसमें वह सेवाओं के लिए आवेदन करता

है/करती है या एक राज्य से दूसरे राज्य में सेवाओं के परिवर्तन की स्थिति में ऑन-लाईन माध्यम से सूचित करेगा/करेगी जिसमें ई-मेल भी शामिल है।

अध्याय 6

परीक्षा के लिए आवेदन

25. आवेदन का प्ररूप.— (1) परीक्षा के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 'क' में होगा ।

(2) आवेदक, प्ररूप के ऐसे भाग को उसी प्रकार भरेगा जैसे किसी अभ्यर्थी द्वारा भरा जाता है और उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

(3) भरा गया आवेदन सचिव या परीक्षा के लिए सूचना या विज्ञापन अथवा विवरण पत्रिका में यथा विनिर्दिष्ट व्यक्ति को अग्रेषित किया जाएगा और उसके साथ संलग्न होगी —

(क) अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यताओं, उसके व्यवहारिक अनुभव की बाबत प्रत्येक की स्वयं अनुप्रमाणित प्रति (सभी मूल शंसापत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाएंगे) ;

(ख) उसके नियोजक का उत्तम चरित्र का प्रमाण-पत्र ।

(ग) परीक्षा के लिए इन नियमों में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय के समर्थन में, उस परीक्षा के लिए सूचना या विज्ञापन अथवा विवरण पत्रिका में यथा विनिर्दिष्ट खजाना चालान की या संदाय के किसी अन्य प्रकार की, जिसकें अंतर्गत ऑन-लाईन संदाय की रीति भी है, प्रतियां ; और

(घ) नई पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ (50 मि.मि. X 65 मि.मि.) की दो प्रतियां, जिसमें से एक के पीछे, अभ्यर्थी के काली स्याही में हस्ताक्षर होंगे ।

26. अभ्यर्थी द्वारा समाधानप्रद शंसापत्र प्रस्तुत करना.— (1) किसी ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो अपने अनुभव, योग्यता और अपनी अर्हता सेवा की संपूर्ण अवधि के उत्तम आचरण या अर्हता सेवा की अवधि में कोई अस्पष्ट व्यवधान को प्रभावित करने वाले समाधानप्रद शंसापत्र प्रस्तुत नहीं कर सकता है और ऐसे शंसापत्र स्पष्ट रूप से उस सामर्थ्यता का जिसमें अभ्यर्थी, शिक्षु इंजीनियर, पर्यवेक्षक या सहायक इंजीनियर आदि के रूप में नियोजित किया था और उन तारीखों का, जिसके बीच में अभ्यर्थी इस प्रकार नियोजित था, कथन करेंगे ।

(2) शंसापत्र, ऐसे विभाग के भारसाधक द्वारा हस्ताक्षरित होगा जिसके अधीन अभ्यर्थी नियोजित था और वह कारखाने या कार्यशाला के स्वामी या अभिकर्ता द्वारा या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे समिति इस निमित्त अधिकथित करे, प्रति हस्ताक्षरित होगा ।

(3) ऐसा अभ्यर्थी, जिसने किसी मान्यताप्राप्त इंजीनियरी कॉलेज या तकनीकी संस्थान में प्रशिक्षण पाठय़क्रम प्राप्त किया है, या तो पाठय़क्रम की डिग्री या डिप्लोमा या कॉलेज अथवा संस्थान, जैसा भी मामला हो, का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें पाठय़क्रम पूरा करने में लगे समय का उल्लेख होगा।

(4) किसी वाष्प पोत में सेवा की बाबत शंसापत्र मुख्य इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकेगा और जलयान के मास्टर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित या पोत परिवहन मास्टर द्वारा जारी नाविक निर्वहन प्रमाण पत्र के प्ररूप में हो सकेगा ।

(5) रेल बायलरों या किसी सरकारी विभाग या स्थानीय निकायों के बायलरों पर दी गई किसी सेवा का प्रमाण-पत्र, ऐसे विभाग के उत्तरदायी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा जिसके अधीन अभ्यर्थी ने प्रत्यक्ष रूप से सेवा की है और विभाग के संबंधित प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा ।

27. शंकास्पद शंसापत्र.— यदि सचिव के पास, किसी आवेदन या शंसापत्रों में दिए गए किसी कथन की सत्यता पर शंका करने का कारण है तो वह ऐसी जांच कर सकेगा जो वह उसे सत्यापित करने हेतु ठीक समझे ।

28. मिथ्या शंसापत्र.— (1) यदि जांच करने पर सचिव का यह समाधान हो जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किसी शंसापत्र की कोई तात्विक विशिष्टियां मिथ्या है तो वह अपने निष्कर्ष अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा जो ऐसे अभ्यर्थी को इन नियमों के अधीन आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश करने से विवर्जित करने का लिखित आदेश कर सकेगा । यदि ऐसे किन्हीं शंसापत्रों के बल पर, किसी अभ्यर्थी ने पहले ही परीक्षा में प्रवेश प्राप्त कर लिया है तो उसे ऐसी परीक्षा में असफल समझा

जाएगा और ऐसी परीक्षा में असफल घोषित होने के परिणामस्वरूप उसे प्रदत्त प्रमाण पत्र तत्काल वापस ले लिया जाएगा और उसे रद्द कर दिया जाएगा :

परंतु आवेदक को मामले में सुनवाई का अवसर दिए बिना इस नियम के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर यथास्थिति सरकार या भारत सरकार को अपील कर सकेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

29. आवेदनों और शंसापत्रों की प्रतियों का रखा जाना.— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन और शंसापत्र अध्यक्ष के कार्यालय में अभिलेख के रूप में रखे जाएंगे या परीक्षा संचालित करने के लिए प्राधिकृत किसी अभिकरण, जैसा समिति द्वारा विनिश्चित किया जाए, रखे जाएंगे ।

अध्याय 7

पात्रता मापदंड

30. आयु, अर्हता और अनुभव--बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र के लिए कोई अभ्यर्थी को परीक्षा में तभी प्रवेश दिया जाएगा,जब,--

(क) तेईस वर्ष की आयु पूरी कर ली हो;

(ख) उसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से यांत्रिकी या विद्युत या रासायनिक या शक्ति संयत्र या उत्पादन अथवा यांत्रिकरण इंजीनियरी में डिग्री या डिप्लोमा हो;

(ग) जिसने कम से कम एक हजार वर्गमीटर तापक सतह के बायलर के या कम से कम कुल मिलाकर एक हजार वर्गमीटर तापक सतह के बायलरों की बैटरी के, जिनमें से कम से कम एक बायलर कम से कम पांच सौ वर्गमीटर तापक सतह का हो, प्रचालन और/या रखरखाव में डिग्री धारकों की दशा में कम से कम दो वर्ष की और डिप्लोमा धारकों की दशा में पांच वर्ष सेवा की हो ।

परंतु, राष्ट्रीय शक्ति प्रशिक्षण संस्थान से डिग्री धारक या स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक की दशा में, न्यूनतम कार्य अनुभव की अपेक्षा एक वर्ष होगी ।

अध्याय 8

परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम

31. परीक्षा के लिए पाठय़क्रम- किसी अभ्यर्थी को, इन नियमों के अधीन प्रवीणता प्रमाण पत्र अर्हित होने के अनुक्रम में परीक्षक को निम्नलिखित के लिए आश्वस्त करना होगा कि वह:-

(क) भार, क्षेत्र, आयतन, परिमाण और वजन की संगणना कर सकता है;

(ख) भूमि पर प्रयुक्त वाष्प बायलरों के मुख्य प्रकारों के ब्यौरे दे सकता है और उन प्रयोजनों और कारणों को बता सकता है जिसके लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के बायलर लगाए जाते हैं, और आंकड़ों और प्रदत्त सूत्र से भारतीय बायलर विनियम के अनुसार बायलर के किसी भाग के लिए सुरक्षित चालन दबाव की संगणना कर सकता है ।

(ग) गोलाकार शलाका और शैफ्ट के भीतर का प्रत्यक्ष प्रतिबल, मरोडी प्रतिबल और बंकन प्रतिबल और दिए गए भार के साथ आयताकार शलाकाओं और लीवरों के भीतर के बकन प्रतिबल की संगणना कर सकता है;

(घ) वाष्प बायलरों, अतितापित और मित्त उपयोजितों के चालन और प्रबंधन को समझ सकता है;

(ङ) विभिन्न वाल्वों, कोक, माउंटिंग, फिटिंग और यंत्र सुरक्षा युक्तियों का प्रयोग और प्रयोजन समझ सकता है;

(च) भरण पंपों, भरण अंतःक्षेपक, भरण विनियंत्रक, भरण जल फिल्टर और मृदुकर, भरण तापक, वायु तापक, उष्मांक संचायक, कृत्रिम कर्षण, अभिप्रेरित कर्षण, स्वचालित कर्षण नियंत्रण युक्तियों का विवरण दे सकता है और उसके कार्य को समझा सकता है।

(छ) दहन, उष्मा और वाष्प संबंधी तथ्यों का उत्तर दे सकता है और कोयले और जल की खपत को और वाष्प की उस मात्रा को संगणित कर सकता है जो किसी भूमि बायलर में कर्षण की भिन्न-भिन्न पद्धतियों के अधीन तापक सतह से उत्पन्न हो सकती है और बायलर संयंत्र की संपूर्ण दक्षता को भी संगणित कर सकता है;

(ज) धारा और सतह संक्षेपण, वाष्प विस्तारण के पुनः तापन और कार्यकरण को समझा सकता है;

(झ) बायलर और चिमनियों की बुनियाद रखने और दहनशील पदार्थ को सफलतापूर्वक निकालने हेतु चिमनियों की ऊंचाई में प्रयुक्त साधारण पद्धतियों को समझा सकता है;

(ञ) धुंए के निवारण के लिए प्रयुक्त मुख्य साधित्र का और उस सिद्धांत का, जिसके आधार पर वे कार्य करते हैं, महत्व समझा सकता है और उपयोग में आने वाली मुख्य यांत्रिक आग वाले, संपेषक, गैस तेल और प्रपूर्णित ईंधन प्रणाली का विवरण दे सकता है ;

(ट) कालिक सफाई, तापक सतह की पपड़ी या अन्य निक्षेपों को रोकने के लिए प्रयुक्त विधियां और भरे हुए जल में कतिपय पीएच मूल्य को बनाए रखने की आवश्यकता को समझा सकता है;

(ठ) बायलरों की त्रुटियों का पता लगा सकता है और उन्हें सुधारने के साधनों और पद्धतियों को बता सकता है;

(ड) ठंडी या एकत्रित अग्नि की स्थिति से बायलरों और इकोनोमाइजर को चलाने में बरती जाने वाली सावधानियों को समझ सकता है;

(ढ़) किसी इकोनोमाइजर को उस समय बंद करने के लिए जब बायलर वाष्प चालित हो, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को समझ सकता है;

(ण) ईंधन की बचत करने के लिए और बायलर गृह में प्रयुक्त विभिन्न उपकरणों के लिए अंगीकृत पद्धतियों को समझा सकता है;

(त) बायलर के घटकों और पाईपिंग में प्रयुक्त सामग्री; और

(थ) बायलरों और बायलर के आधारों या उसके भाग के कार्य प्रणाली की रूप रेखा और उसके रेखा चित्र को पढ़ सकता है और तैयार कर सकता है।

अध्याय 9

परीक्षा की रीति

32. परीक्षा की प्रकृति--बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र हेतु परीक्षा ऐसी प्रकृति की होगी जिसे भूमि पर प्रयुक्त सभी प्रकार और दबावों के वाष्प जनित संयंत्रों के भार साधक के रूप में नियुकति करने के लिए किसी अभ्यर्थी की उपयुक्तता को अभिनिश्चित करने के लिए अभ्यर्थियों की व्यवहारिक योग्यता और तकनीकी ज्ञान की परीक्षा की जा सके ।

33. परीक्षा के विषय--परीक्षा का संचालन निम्नलिखित रीति से किया जाएगा:-

(1) लिखित परीक्षा जिसमें एक प्रश्न पत्र नियम 31 के उपनियम (क) से उपनियम (ज) के अधीन नियत पाठय़ विवरण को पूरा करने वाला बायलरों से संबंधित और दूसरा प्रश्न पत्र नियम 31 के उपनियम (झ) से उप नियम (त) के अधीन नियत पाठय़ विवरण को पूरा करने वाला बायलरों से संबंधित होगा ।

(2) नियम 31 के उपनियम (थ) को पूरा करने वाली लिखित रेखा चित्र परीक्षा ।

(3) वायलर के प्रयोग से संबधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मौखिक परीक्षा और यदि परीक्षक द्वारा अपेक्षित है तो किसी बायलर गृह में उसके कर्तव्यों के व्यवहारिक पहलुओं को पूरा करने के लिए उसकी योग्यता को परीक्षा भवन या किसी कार्यशाला में प्रदर्शित करना ।

34. कार्य का निर्धारण—(क) अभ्यर्थी को प्रत्येक लिखित प्रश्न पत्र में और मौखिक तथा रेखा चित्र परीक्षा में कम से कम पैंतालीस प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे, किंतु इन नियमों के अधीन प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान करने के क्रम में संपूर्ण योग कुल अंकों का पचास से कम नहीं होना चाहिए ।

(ख) किसी भी लिखित पेपर में पैंतालीस प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मौखिक परीक्षा के लिए नहीं बुलाया जाएगा।

35. **परीक्षा की फीस--** अभ्यर्थी, बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र के लिए परीक्षा हेतु 2000/-रु. (दो हजार रुपए) की फीस का, यथालागू वस्तु और सेवा कर सहित संदाय खजाना चालान द्वारा या किसी अन्य ऐसी अन्य रीति से जिसके अंतर्गत संदाय की ऑनलाइन रीति भी है, जो परीक्षा के लिए नोटिस या विज्ञापन या प्रोस्पैक्टस में अधिकथित की जाए, किया जाएगा ।

36. **फीस का प्रतिदाय--** ऐसा अभ्यर्थी, जो इन नियमों के अधीन एक बार परीक्षा में प्रवेश प्राप्त कर लेता है, किसी फीस के प्रतिदाय का हकदार नहीं होगा और जब कोई अभ्यर्थी निश्चित तारीख को अपरिहार्य कारणों से परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो अध्यक्ष उसे अगली परीक्षा में दूसरी फीस का संदाय किए बिना सम्मिलित होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

37. **अपात्र पाए जाने पर अभ्यर्थी की फीस--**कोई ऐसा अभ्यर्थी जिसने परीक्षा फीस का संदाय किया है किंतु परीक्षा के लिए अपात्र पाया जाता है तो उक्त फीस समपहृत हो जाएगी ।

अध्याय 10

प्रमाण पत्र प्रदान करना

38. **प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान करना—** ऐसे अभ्यर्थियों के ब्यौरे जो परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, समिति द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे और अभ्यर्थियों को परिणाम की घोषणा के पश्चात् प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

39. **प्रमाणपत्र का प्ररूप--**बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र प्ररूप 'ख' में होगा ।

40. **पहचान करने की अपेक्षा--** इन नियमों के अधीन प्रदत्त प्रत्येक प्रमाण पत्र पर उसके धारक का, नियम 25 के अधीन उसके आवेदन के साथ पहले प्रस्तुत आवक्ष फोटो, और उसके हस्ताक्षर तथा ऐसी विशिष्टियां होंगी जो पहचान के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हों ।

41. **प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति प्रदान करना--** (1) जब कभी प्रमाण पत्र का धारक अध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में यह साबित करता है कि इन नियमों के अधीन उसे प्रदत्त प्रमाण पत्र खो गया है, चोरी हो गया है या नष्ट हो गया है या विकृत हो गया है तो उसे 200/-रु0 (दो सौ रुपए) फीस का संदाय करने पर प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति प्रदान की जाएगी, जो यथा पूर्वोक्त उस अभिलेख के अनुसार होगी, जिसका वह हकदार प्रतीत होता है, जिसकी उन सभी प्रयोजनों के लिए वैसी ही विधिमान्यता होगी जो मूल प्रमाण पत्र की होती और ऐसे प्रमाण पत्र पर "प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति" शब्द लिखा होगा और फीस खजाना चालान या ऐसी अन्य रीति जिसके अंतर्गत संदाय की ऑनलाइन रीति भी है, संदत्त की जाएगी जो समिति इस निमित्त अधिकथित करे ।

(2) यदि जांच करने पर सचिव का यह समाधान हो जाता है कि प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदक द्वारा किया गया कोई कथन मिथ्या है तो वह उक्त समिति को उसकी अगली बैठक में मामले की रिपोर्ट करेगा और समिति अपने विवेकाधिकार से, प्रमाण पत्र को रद्द कर सकेगा या यथा पूर्वोक्त प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति या तो तुरंत या ऐसी अवधि के पश्चात् जो बारह मास से अनधिक की ऐसी अवधि के पश्चात्, जो समिति प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित समझे, प्रदान करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

42. **प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति के लिए आवेदन--**प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति के लिए आवेदन, इस संबंध में पुलिस के पास दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति के साथ और कथन की इस घोषणा के साथ कि इन नियमों के अधीन प्रदत्त प्रमाण पत्र खो गया है, अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

43. **मूल प्रमाण पत्र की अविधिमान्यता--**प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति के जारी किए जाने पर, मूल प्रमाण पत्र विधिमान्य नहीं रह जाएगा और यदि वह उसके धारक के कब्जे में है तो उसे अध्यक्ष के कार्यालय में वापस किया जाएगा ।

44. **प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति का अभिलेख--**इन नियमों के अधीन प्रदत्त सभी प्रमाण पत्रों की दूसरी प्रति के ब्यौरे अध्यक्ष के कार्यालय में अभिलिखित किए जाएंगे ।

अध्याय 11

जांच

45. प्रमाण पत्र धारकों के संबंध में जांच--यदि जिला मजिस्ट्रेट या बायलरों के मुख्य निरीक्षक या निदेशक के पास किसी भी कारण से यह विश्वास करने का कारण है कि इन नियमों के अधीन प्रवीणता प्रमाण पत्र धारण करने वाले किसी बायलर प्रचालन इंजीनियर की ओर से कर्तव्य की अक्षमता, मत्तता, अवचार या उपेक्षा के अभिकथनों की जांच की जानी चाहिए तो वे या तो स्वयं ऐसी जांच करेंगे या अपने अधिनस्थ अधिकारियों द्वारा इसकी जांच करवाएंगे, और -

(क) उस व्यक्ति की उपस्थिति में कार्यवाहियां की जाएंगी जिसका आचरण जांच की विषयवस्तु है और उसको ऐसा कोई कथन करने का और अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा ।

(ख) जांच करने वाले अधिकारी द्वारा उस पर दिए गए निष्कर्षों के साथ ऐसी जांच की कार्यवाही, उस अधिकारी द्वारा समिति के विनिश्चय के लिए अग्रेषित की जाएगी ।

46. प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण--जब नियम 45 के अधीन कोई जांच की जा रही है तो ऐसे प्रमाण पत्र का धारक जांच के भारसाधक अधिकारी की मांग पर, तुरंत ऐसी जांच के परिणाम के लंबित रहने के दौरान उक्त अधिकारी को अपना प्रमाण पत्र अभ्यर्पित कर देगा ।

47. समिति का विनिश्चय--(1) समिति, नियम 45 के अधीन की गई जांच की कार्यवाही, उस पर दिए गए निष्कर्ष के साथ प्राप्त होने पर, आदेश द्वारा प्रमाण पत्र की मान्यता को लिखित में अनुज्ञात कर सकेगा या उसे ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे या स्थायी रूप से प्रमाण पत्र को रद्द कर सकेगा ।

(2) उप नियम (1) के अधीन कोई कार्रवाई करने के पूर्व अभ्यर्थी को मामले में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(3) उपनियम (1) के अधीन समिति के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, यथास्थिति सरकार या केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

प्ररूप 'क'

(नियम 25 देखें)

बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

भाग -1 आवेदक का नाम आदि

2. नाम (पूरा नाम) 3. पिता का नाम 4. राष्ट्रीयता 5. जन्म की तारीख 6. जन्म स्थान 7. स्थायी पता	**फोटोग्राफ**

8. क्या किसी पूर्व परीक्षा में सम्मिलित हुआ है

9. यदि हां तो तारीख और स्थान के ब्यौरे

भाग 2 : प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्रों की विशिष्टियां

क्रम सं.	प्रमाण पत्र का संख्यांक	प्रमाण पत्र का वर्ग	जारी करने का स्थान	जारी करने की तारीख	क्या किसी समय निलंबित या रद्द हुआ है और यदि ऐसा है तो कथन करे कि किसके द्वारा	निलंबन या रद्दकरण की तारीख	निलंबन या रद्दकरण के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8

भाग 3 : परिसाक्षों की सूची और सेवा का विवरण

(परिसाक्ष नीचे स्तंभ 1 में दी गई संख्याओं के तत्स्थानी क्रम संख्यांक में दिए जाएं)

परिसाक्षों का क्रम संख्याक	परिसाक्षों की तारीख	परिसाक्षों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम	उस कारखाने या कार्यशाला का पता जहां वह नियोजित है	उन बायलरों की संख्या, प्रकार और तापक सतह जिस पर कार्य किया है	हैसियत जिसमें नियोजित है	आवेदक की सेवा		वह अवधि जिसमें वह नियोजित था			आवेदक द्वारा नहीं भरा जाएगा।	
						प्रारंभ की तारीख	समाप्ति की तारीख	वर्ष	मास	दिन	सत्यापन करने वाले के आद्यक्षर	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(क) कुल सेवा

(ख) सेवा में लगाया गया वह समय जिसके लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं

(ग) सेवा में लगाया गया वह समय जिसके लिए कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

भाग 4- आवेदक द्वारा की गई घोषणा

मैं घोषित करता हूँ कि इस प्ररूप के भाग-1, भाग 2 और भाग 3 में दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही और सत्य हैं और भाग 2 में प्रगणित दस्तावेज़ और इस प्ररूप के साथ प्रस्तुत कागजपत्र वास्तविक और असली हैं और सत्य और सही हैं।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि भाग-3 में दिए गए विवरणों में बिना किसी अपवाद के मेरी सेवा की संपूर्ण अवधि का सत्य और सही विवरण अंतर्विष्ट है और मैं शुद्ध अंतःकरण से उसकी सत्यता का विश्वास करके यह घोषणा करता हूँ।

तारीख.....20

आवेदक के हस्ताक्षर

वर्तमान पता

.....की उपस्थिति में हस्ताक्षर

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

टिप्पणः-1. प्रत्येक आवेदन के साथ परीक्षा के लिए नोटिस या विज्ञापन या प्रोस्पैक्टस में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी रीति में अपेक्षित फीस संलग्न की जानी चाहिए।

2. आवेदन के साथ आवेदक के नवीनतम आवक्ष फोटो (आकार 50 मि.मि.x 65 मि.मि.) की दो प्रतियां लगी हों, जिसके पीछे आवेदक के हस्ताक्षर होंगे।

3. परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए यदि कोई व्यक्ति मिथ्या विवरण देता है तो वह लागू विधियों के अधीन अभियोजन का दायी होगा।

4. अपूर्ण आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

भाग 5

(आवेदक द्वारा नहीं भरा जाएगा)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. .....की बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रमाण पत्र के लिए परीक्षा की गई और वह .....के दौरान आयोजित परीक्षा में सफल /असफल हो गया है।

बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र उसे सफल प्रमाणित करने के पश्चात् ही दिया जाएगा।

प्रमाण पत्र सं..... तारीख.....को जारी किया गया और उसकी प्रति अभिलिखित है।

(सचिव)

परीक्षक समिति

प्ररूप ख

(नियम 39 देखें)

बायलर प्रचालन नियम 2021 के अधीन बायलर प्रचालन इंजीनियर के रूप में प्रवीणता प्रमाण पत्र

सं.....तारीख.....मास 20.....

श्री/श्रीमती/कुमारी.....आयु.....वर्ष.....वर्तमान निवासी.....ने बायलर प्रचालन, नियम, 2021 के अधीन प्रदत्त किसी बायलर प्रचालन इंजीनियर के कर्तव्यों को पूरा करने में अपनी प्रवीणता के संबंध में ऊपर उल्लिखित नियमों के अधीन नियुक्त परीक्षक समिति को आश्वस्त कर दिया है, प्रवीणता का यह प्रमाण पत्र सभी प्रकार के या आकार के बायलरों का भारसाधक होने के लिए प्राधिकृत करता है परंतु यह तब जब सभी बायलर पचास मीटर की परिधि में स्थित हों ।

तारीख.....मास.....20...

सचिव
परीक्षक समिति

अध्यक्ष
परीक्षक समिति

फोटो

विवरण नामावली

1. जन्म की तारीख और स्थान.....
2. स्थायी पता.....
3. राष्ट्रीयता.....
4. ऊंचाई (बिना जूतों के) .....
5. पहचान के चिन्ह.....
6. बाएं अंगूठे का निशान.....
7. अभ्यर्थी के हस्ताक्षर……..

[फा. सं. पी-30012/2/2020-बायलर]

सुमिता डावरा, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2021

G.S.R. 115(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (f) of sub-section (1A) of section 28A of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923), and in supersession of the Boiler Operation Engineers' Rules, 2011, except as respects thing done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER-I

Preliminary

1. **Short title and commencement.–** (1) These Rules may be called the Boiler Operation Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.–** (1) In these rules, unless the content otherwise requires,-

(a) "Act" means the Boilers Act, 1923 (5 of 1923);

(b) "Boiler Operation Engineer" means a person granted with a certificate of proficiency as a Boiler Operation Engineer under these rules;

(c) "Chairman" means the Chairman of the Committee;

(d) "Committee" means the Committee of Examiners constituted under these rules;

(e) "form" means a form appended to these rules;

(f) "Government" means a State Government or Administration of an Union territory ;

(g) "Secretary" means the Secretary to the Committee;

(h) "section" means a section of the Act;

(i) every reference in these rules to a boiler or boilers shall be deemed to include also a reference to an economiser or economisers respectively.

(2) Words or expressions used in these rules but not defined shall have the meaning assigned to them in the Act.

CHAPTER-II

GENERAL

3. **Supervision of operation of boiler.–** The owner of a single boiler or two or more boilers connected in a battery or of many separate individual boilers situated within a radius of fifty meters having a total heating surface exceeding one thousand square meters in any of the cases shall not use the same or permit the same to be used unless the boiler or boilers are placed in direct charge of a competent person specified in rule 4 in addition to such number of boiler attendants as specified in these rules:

Provided that the Chief Inspector may permit any boiler attendant to remain in-charge of a boiler for a maximum period of three months not withstanding any thing contrary contained in these rules:

Provided further that nothing in these rules shall debar a person holding a first class certificate of competency granted under the Boiler Attendants' Rules, 2011 from remaining in attendance and in charge of a boiler or boilers of any size and any such certificate shall for the purpose of these rules be deemed to have been granted under these rules.

4. **Competent Person shall possess certificate and extent of qualification.–**Any person, who does not possess a certificate of proficiency as a Boiler Operation Engineer under these rules, shall not be deemed to be a fit and proper person to hold the charge of any boiler or boilers exceeding the limits as laid down in rule 3.

5. **Production of Certificate**. **–** A Boiler Operation Engineer holding a certificate of proficiency under these rules shall, at all reasonable times during the period any boiler is in his charge or attendance, be bound to produce such certificate when called upon to do so by any of the persons empowered under section 15 to call for the production of a certificate or provisional order granted under the Act.

6. **Owner to furnish Chief Inspector or Director of Boilers with particulars of Certificates** .– (1) The owner of a boiler who engages any person to be incharge thereof, shall within seven days of such engagement furnish to the Chief Inspector or Director of Boilers, as the case may be, the full particulars of such person including the serial number, date and place of issue of his certificate.

(2) The owner of a boiler who engages any other person to hold the charge of such boiler in place of the person who was incharge of the said boiler under sub-rule (1), in the event of such person leaving his employment or in the event of the death of such person, report that fact within seven days to the Chief Inspector or Director of Boilers, as the case may be.

7. **Limits of daily period of attendance, reliefs, and sphere of action**.–(1) A person who is in-charge of a boiler shall be deemed to be in direct and immediate charge of the same when he is physically present within hundred meters of such boiler.

(2) A person who is in-charge of a boiler for which a certificate of proficiency is required under these rules may be relieved of charge in any one day for not more than two periods, which when combined do not exceed two hours in duration by a person holding a first class certificate of competency as a Boiler attendant.

(3) The holder of a first class certificate of competency as a boiler attendant may also with the consent in writing of the Chief Inspector or Director of Boilers, as the case may be, relieve a person holding a certificate of proficiency as boiler operation engineer for a period which may extend to ten consecutive days which, in special circumstances, the Chief Inspector or Director of Boilers may extend to any length of time not exceeding thirty days at a time.

8. **When Boiler shall be deemed to be in use.–** (1) A boiler shall be deemed to be in use for the purpose of these rules when there is fire in the furnace fire box or fire place for the purpose of heating the water in the boiler or under banked fire condition:

Provided that a boiler shall not be deemed to be in use when the fire is removed and all steam and water connections are closed.

(2) An economiser or waste heat boiler shall be deemed to be in use for the purpose of these rules when there is a flow of flue gases or other heating media past the economiser or waste heat boiler and an appreciable heat transfer takes place between the water and the heating gases or media.

CHAPTER III

COMMITTEE OF EXAMINERS

9. **Constitution of the Committee of Examiners.–** (1) A Committee of Examiners shall be constituted by the Government for the State or Union territory consisting of the Chief Inspector or Director of Boilers, a Deputy Chief Inspector or Inspector or equivalent as nominated by the Chief Inspector or Director of Boilers, and not less than three other members having academic and practical knowledge of prime movers and modern boiler practices to be appointed by that Government from time to time.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) the Committee of Examiners may also be constituted by the Government of India at the Central Government level consisting of the Technical Adviser, a technical officer working in Boiler Section of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, and not less than three other members having academic and practical knowledge of prime movers and modern boiler practices, to be nominated by the Central Government from time to time.

(3) The Chief Inspector or Director of Boilers, as the case may be, shall be the *ex-officio* Chairman and the Deputy Chief Inspector or Inspector or equivalent nominated by the Chief Inspector or Director of Boilers as the case may be, shall be the ex-officio Secretary to the Committee constituted in a State or Union territory and in the Committee constituted at the Central Government level, the Technical Adviser shall be the ex-officio Chairman and the technical officer working in Boiler Section of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India shall be the *ex-officio* Secretary to the Committee.

10. **Term of Office of the Members.–** (a) The term of office of each of the members other than the ex-officio members of the Committee shall be three years.

(b) In a Committee constituted for a State or Union territory, if a member leaves the State or Union territory permanently or absents himself or herself from three consecutive meetings without the permission of the Committee, he or she shall be deemed to have vacated his or her seat in the Committee and another person may be appointed in his or her place for the remaining portion of his or her term.

(c) In the Committee constituted at the Central Government level, if a member absents himself or herself from three consecutive meetings without the permission of the Committee, he or she shall be deemed to have vacated his or her seat in the Committee and another person may be appointed in his or her place for the remaining portion of his or her term.

11. **Functions of the Committee.–** The Committee of Examiners shall –

(i) conduct examinations and practical tests of candidates for the grant of certificates of proficiency as a Boiler Operation Engineer by itself or through any agency authorised by it in this behalf;

(ii) have the power to appoint any person as a question paper setter or examiner in any examination;

(iii) grant certificate of proficiency to a successful candidate as a Boiler Operation Engineer; and

(iv) consider the reports of enquiries received under rule 45.

12. **Meeting of the Committee.–** A Committee constituted under rule (9) shall meet as often as may be in the opinion of the Chairman be necessary for transacting its business and at such place and time as may be decided by the Chairman.

13. **Notice of Meeting and List of Business.–** (1) A notice of not less than fifteen days shall be given in regard to the time and place fixed for each meeting of the said Committee to every member of the Committee, annexing therewith the list of business to be discussed at the meeting:

Provided that if the Chairman calls any meeting for considering any matter which in his opinion is urgent, a notice giving such reasonable time as he may consider necessary, shall be deemed sufficient;

(2) Any business which is not included in the list of business shall not be considered at the meeting without the permission of the Chairman.

14. **Quorum.–** The Chairman or the Secretary and two members of the a Committee of Examiners shall form a quorum for a meeting.

15. **Chairman to preside at meetings of the Committee**. – The Chairman shall preside over the meeting of the Committee and in his absence, a member chosen by the members present at the meeting shall preside over the meeting.

16. **Functions of Secretary to Committee.–** The Secretary shall maintain a register of Boiler Operation Engineers holding Certificate of Proficiency and shall perform such other functions as are specified in these rules or as the Chairman may direct from time to time.

17. **Committee's endorsement on application.–** The Committee shall endorse on the printed application form of each candidate, the result of his examination for a certificate of proficiency as a Boiler Operation Engineer and the endorsed application shall be returned to the Secretary.

18. **Committee's Power to refuse issue of Certificate.–** The Committee may direct any candidate, who in the opinion of the majority of the members appears too old or physically unfit due to deformity, constitutional weakness, defective eyesight, deafness or loss of a limb to perform efficiently the duties of a Boiler Operation Engineer, to produce a certificate of fitness from a Registered Medical Practitioner and where the candidate fails to produce a the certificate of fitness, the Committee shall have the power to refuse him or her the certificate of proficiency as a Boiler Operation Engineer.

19. **Examiner's Fees.–** Each member of the Committee of Examiners appointed under rule 9 except Chairman and Secretary and examiners and invigilators shall be entitled to receive fees for examining candidates under these rules and the rate of fees shall be as follows:—

(a)	sitting fee for Committee meeting (for non official Committee members) —	Rs. 1000/-
(b)	for setting question paper —	Rs. 3500/-
(c)	for valuation of answer paper —	Rs. 50/- (per answer paper)
(d)	for examining a candidate —	Rs. 150/- (per candidate)
(e)	invigilation fee — (per invigilator)	(i) Rs. 600/- (if examination exceeds three hours) (ii) Rs. 300/- (if examination does not exceeds three hours)

20. **Actions of the Committee.–** No action of the Committee shall be deemed to be invalid by reasons of any defect in the constitution of the Committee or by reason of such action having been done during the period of any vacancy in the Committee.

CHAPTER IV

EXAMINATION

21. **Examination.–**Examination for the grant of certificates of proficiency as a Boiler Operation Engineer shall be conducted by the Committee or any agency authorised by it in this behalf at such places and on such dates as decided by the Committee from time to time.

22. **Postponement of examination.–**When a date fixed for the examination is declared as a gazetted holiday or when for any unforeseen reason the examination cannot be held on the date fixed, the Chairman may fix some other date for holding the examination and the same shall be duly intimated to the candidates and the members of the Committee of Examiners.

CHAPTER V

CERTIFICATE

23. **Capabilities of holders of Certificate.–**(1) The certificate of proficiency as a Boiler Operation Engineer shall qualify the holder thereof to be incharge of a boiler or boilers of any type and size provided that the boilers are so situated that none of them is at a distance of more than fifty meters radius from any one of them.

(2) The holder of a certificate of proficiency as a Boiler Operation Engineer shall for all intents and purposes be deemed to have fulfilled the requirements of the Boilers Attendants' Rules, 2011:

Provided that a Boiler Operation Engineer holding certificate of proficiency prior to the publication of the Boiler Operation Rules, 2021 in the official Gazette as a Boiler Operation Engineer issued by a Government prior to the date of notification of the said rules shall be eligible to be in-charge of a boilers as mentioned in the certificate of proficiency.

24. **Validity of Certificates.–** A certificate of proficiency as a Boiler Operation Engineer granted to a candidate by any Committee shall be valid all over the India provided that a person holding a certificate of proficiency as a Boiler Operation Engineer shall give the intimation through on-line mode including by e-mail to the Chief Inspector or Director of Boilers of the concerned Government in which he or she applies for services or in case of change of services from one State to another.

CHAPTER VI

APPLICATION FOR EXAMINATION

25. **Form of application.–** (1) Every application for examination shall be in form 'A'.

(2) The applicant shall fill in such part of the form as are to be filled in by a candidate and shall sign on it.

(3) The filled in application shall be forwarded to the Secretary or to the person as specified in the notice or advertisement or prospectus for examination, and shall be accompanied by –

(a) one self attested copy of each of the testimonials in respect of academic qualifications, practical experience of the candidate (all original testimonials shall be produced at the time of interview);

(b) testimonials of good character from his employer;

(c) a copy of Treasury Challan or such other mode of payment including on-line mode of payment, as specified in the notice or advertisement or prospectus for examination in support of payment of the fee specified in these rules for the examination; and

(d) two copies of recent passport size photographs (size 50mm x 65mm), one of which shall bear the signature of the applicant on the back.

26. **Candidate to produce satisfactory testimonials.–** (1) No candidate shall be admitted to an examination who cannot produce satisfactory testimonials certifying his experience, ability, and good conduct for the whole period of his qualifying service or any unaccounted break in the period of qualifying service and such testimonials shall clearly state the capacity in which candidate was employed, whether as an Apprentice Engineer, Supervisor or Assistant Engineer and the periods of such employment stating the dates between which candidate was so employed.

(2) The testimonial shall be signed by the incharge of the department in which the candidate was employed and be countersigned by the owner or agent of the mill, factory or workshop or by such other persons as the committee may lay down in this behalf.

(3) A candidate who has undergone a course of training at a recognised Engineering College or Technical Institution shall produce either the degree or diploma of the course or a certificate from the college or institution as the case may be, giving the period devoted in completing the course.

(4) A testimonial in respect of service in a steamship may be signed by the Chief Engineer and counter signed by the master of the vessel or may be in the form of a seaman's discharge certificate issued by a Shipping Master.

(5) A testimonial of service rendered on railway boilers or boilers belonging to any Government Department or local bodies, shall be signed by a responsible officer of that Department in which the candidate had served and countersigned by the concerned Head of the Department.

27. **Doubtful testimonials.**– If the Secretary has reason to doubt the truth of any statement made in any application or testimonials, he may make such enquiries as he thinks fit to verify the same.

28. **False testimonials.**– (1) If on enquiry the Secretary is satisfied that any testimonial submitted by a candidate is false in any material particulars, he shall submit his findings to the Chairman who may by a written order debar such candidate from being admitted to any examination held under these rules and in case if, on the strength of any such testimonials, a candidate has already been admitted to an examination, he or she shall be deemed to have been failed in such examination and any certificate granted to him or her as a result of his or her having been declared to have passed such examination, shall be forthwith recalled and be cancelled:

Provided that no action shall be taken under this rule without giving the applicant an opportunity of being heard in the matter.

(2) Anybody aggrieved by the order of the Chairman under sub-rule (1) may, within thirty days of the date of the receipt of the order, appeal to the Government or Government of India as the case may be, whose decision thereon shall be final.

29. **Keeping of applications and copies of testimonials.**– Application and copies of testimonials as submitted by a candidate shall be kept as records in the office of the Chairman or by the agency authorised to conduct the examination, as decided by the Committee.

CHAPTER VII

ELIGIBILITY CRITERIA

30. **Age, qualifications and experience.**– A candidate for a certificate of proficiency as a Boiler Operation Engineer shall not be admitted to the examination unless he—

(a) has completed the age of twenty-three years;

(b) possesses a degree or diploma in Mechanical or Electrical or Chemical or Power Plant or Production or Instrumentation Engineering from a recognised university or Institution;

(c) has served for not less than two years in case of degree holders and for five years in case of diploma holders in the operation or maintenance of a boiler of not less than one thousand square meters heating surface or a Battery of boilers of not less than one thousand square meters heating surface in aggregate out of which at least one boiler of not less than five hundred square meters heating surface:

Provided that in case of a degree holder or post graduate diploma holder from a National Power Training Institute, the requirement of minimum working experience shall be one year.

CHAPTER VIII

SYLLABUS FOR EXAMINATION

31. Syllabus for examination.– A candidate in order to be qualified for a certificate of proficiency under these rules, shall, satisfy the examiner that he -

(a) can calculate loads, areas, volumes, quantities and weights;

(b) can give description of the principal types of steam boilers used on land and to state the purposes and reasons for which different types of boilers are employed; and from the data and formulae supplied, calculate the safe working pressure for any part of a boiler in accordance with the Indian Boiler Regulations;

(c) can calculate the direct stress, the torsional stress and the bending stress in round bars and shafts and the bending stress in rectangular bars and levers with given load;

(d) understands the working and management of steam boilers, super heaters and economisers;

(e) understands the use and purpose of various valves, cocks, mountings, fitting and other safety devices;

(f) can give a description of and explain the functions of feed pumps, feed injectors, feed regulators, feed water filters and softeners, feed heaters, air heaters, calorifiers, steam accumulators, forced draught, induced draught and automatic draught control devices;

(g) can answer questions on fact relating to combustion, heat and steam and calculate consumption of coal and water and quantity of steam that may be generated from a given heating surface under the various systems of draught, in any land boiler and also calculate the overall efficiency of boiler plant;

(h) can explain jet and surface condensation, reheating and the working of steam expansion;

(i) can explain the general methods employed in laying foundation for boilers and chimneys and the suitable area and height of chimneys to promote efficient combustion;

(j) can explain the significance of principal appliances in use for the prevention of smoke and the principle on which they work and give description of the principal mechanical stokers, pulverisers, gas, oil and pulverized fuel systems in use;

(k) understands the need for periodical cleaning, the methods used for prevention of scale or other deposits on heating surfaces and the necessity for maintaining a certain PH value in feed water;

(l) can detect defects in boilers and state the means and methods of rectifying them.

(m) understands the precautions to be taken for starting a boiler and economiser from cold or from banked fire condition;

(n) understands the procedure to be adopted in putting an economizer out of commission while the boiler is on steam;

(o) can explain the methods adopted for the achievement of fuel economy and the use of various instruments used in a Boiler House;

(p) materials used in Boiler components and piping; and

(q) can read and prepare a working sketch and drawing of boilers and boiler mounting or parts thereof.

CHAPTER IX

MODE OF EXAMINATION

32. Nature of Examination.– The examination for certificate of proficiency as a Boiler Operation Engineer shall be of such nature as to test the practical ability and technical knowledge of the candidates in order to ascertain the suitability of a candidate for appointing as in charge of steam generating plants of all types and pressures in land use.

33. **Subjects for Examination.**– The examination shall be conducted in the following manner, namely:-

(1) written examination consisting of one paper on boilers to cover the syllabus stipulated under sub-rule (a) to sub-rule (h) of rule 31 and another paper on boilers to cover the syllabus stipulated under sub-rule (i) to sub- rule (p) of rule 31.

(2) A written drawing examination covering sub-rule (q) of rule 31.

(3) An oral examination to answer questions pertaining to boiler practices and if required by the examiner to demonstrate in the examination room or in a workshop, his ability to carry out the practical aspects of his duties in a Boiler House.

34. **Assessment of work.**– (a) A candidate shall secure at least forty-five per-cent of the marks in each written paper as well as in the oral and drawing examinations; but the aggregate should not be less than fifty per-cent of the total marks in order that he can be awarded a certificate of proficiency under these rules.

(b) A candidate securing less than forty- five per-cent of the marks in any written paper shall not be called for the oral examination.

35. **Fees for Examination.**– A candidate for examination for certificate of proficiency as a Boiler Operation Engineer shall pay a fee of Rs.2000/- (two thousand rupees) plus Goods and Services Tax (GST) as applicable, by Treasury Challan or in the manner including on-line mode of payment, as laid down in the notice or advertisement or prospectus for examination.

36. **Refund of Fee.–**A candidate once admitted to an examination under these rules shall not be entitled to any refund of fees and where a candidate is unavoidably absent from the examination on the date fixed, the Chairman may allow him to appear without payment of a second fee at the next examination.

37. **Fee for candidate found ineligible.–** A candidate who has paid the examination fee but is found ineligible for an examination shall forfeit the said fee.

CHAPTER X

GRANT OF CERTIFICATES.

38. Grant of certificate of proficiency.– Details of candidates who pass the examination shall be notified by the Committee and candidates shall be granted certificate of proficiency after declaration of result.

39. Form of certificate.– A certificate of proficiency as a Boiler Operation Engineer shall be in Form 'B'.

40. Identification requirement.– Every certificate granted under these rules shall bear a bust photograph of the holder thereof previously submitted along with his application under rule 25 and his signature and such other particulars as may be required for the purpose of identification.

41. Grant of duplicate certificate.– (1) Whenever the holder of a certificate proves to the satisfaction of the Chairman that the certificate granted to him under these rules has been lost, stolen or destroyed or mutilated, he shall be granted on payment of a fee of Rs.200/- (two hundred rupees), a duplicate certificate to which, by the record so kept as aforesaid, he appears to be entitled, which shall have for all purposes the same validity as the original certificate and the words "Duplicate Certificate" shall be written on such certificate and the fee shall be paid by Treasury Challan or such other mode including on-line mode of payment, as lay down by the Committee in this behalf.

(2) If on enquiry the Secretary is of the opinion that any statement made by the applicant for the issue of duplicate certificate is false, he shall report the case to the said Committee at its next meeting and the Committee may

at its discretion either cancel the certificate or permit the grant of a duplicate certificate either immediately or after such period not exceeding twelve months as the Committee may think fit having regard to the circumstances of each case.

42. Application for duplicate certificate.– A application for issuance of a duplicate certificate shall be made to with the Chairman along-with a copy of the First Information Report lodged with the police in this regard and a self-declaration stating that the certificate granted under these rules, has been lost.

43. Invalidity of original certificate.– On the issue of a duplicate certificate, the original certificate shall cease to be valid, and shall if in the possession of the holder thereof be returned to the office of the Chairman.

44. Record of duplicate certificate.– The details of all the duplicate certificates granted under these rules shall be recorded in the office of the Chairman.

CHAPTER XI

ENQUIRY

45. Enquiry regarding certificate holders.– If the District Magistrate or the Chief Inspector or Director of Boilers has reason to believe from any cause whatsoever, that, any enquiry should be made into allegations of incompetence, drunkenness, misconduct or negligence of duties on the part of a Boiler Operation Engineer holding certificate of proficiency under these rules, they shall either themselves make such enquiry or cause it to be made by their subordinate officers , and, –

(a) the proceedings shall be held in the presence of the person whose conduct is the subject matter of the enquiry and he shall have an opportunity to make any statement and produce any evidence in his defence.

(b) the proceeding of the enquiry together with the findings thereon by the officer conducting the enquiry shall be forwarded by that officer for decision of the Committee.

46. Surrender of certificate.–When an enquiry is being conducted under rule 45, the holder of such certificate shall, on demand by the officer in charge of the enquiry, forthwith surrender his certificate to the said officer pending the result of such enquiry.

47. Decision of the Committee.– (1) On receipt of the proceeding of the enquiry conducted under rule 45 together with findings thereon the Committee may by order in writing allow the certificate to stand or suspend it for such period as it thinks fit or cancel the certificate permanently.

(2) Before taking any action under sub-rule (1) the candidate shall be given an opportunity of being heard in the matter.

(3) Anybody aggrieved by the order of the Committee under sub-rule(1) may, within thirty days of the date of the receipt of the order, prefer an appeal to the Government or the Central Government, as the case may be, whose decision thereon, shall be final.

FORM 'A'

(See rules 25)

Application for certificate of proficiency as Boiler Operation Engineer

Part I – Name etc. of the applicant.

1. Name (in full):	Photograph
2. Father's Name:	
3. Nationality:	
4. Date of Birth:	
5. Place of Birth:	
6. Permanent Address:	

7. Whether appeared in any previous examination:

8. If so, details of date and place:

Part II: PARTICULARS OF ALL CERTIFICATES SUBMITTED

S.No.	Number of the Certificate	Class of Certificate	Place of issue	Date of issue	If at any time suspended or cancelled, and if so state by whom	Date of suspension or cancellation	Reasons of suspension or cancellation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

PART III: LIST OF TESTIMONIALS AND STATEMENTS OF SERVICE

(the testimonials to be numbered serially corresponding to the numbers given in column 1 below)

Serial Number of testimonials	Date of testimonials	Name and designation of person signing the testimonials	Address of factory or Workshop where employed	Number, type and heating surface of boilers worked on	Capacity in which employed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Service of Applicant		Period for which employed			Not to be filled in by the applicant	
Date of commencement	Date of termination	Years	Months	Days	Initial of verifier	Remarks
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

(A) Total Service:

(B) Time served for which certificates are produced:

(C) Time served for which no certificates are produced:

Part IV – DECLARATION TO BE MADE BY THE APPLICANT

I do hereby declare that the statements made in Part I, II and III of this Form are correct and true to the best of my knowledge and belief; and that the documents enumerated in Part II and submitted with this form are true and genuine documents and further that the copies of the documents submitted with this form are true and correct.

I further declare that the statements made in Part III contain a true and correct account of the whole period of my service without exception, and I make this declaration conscientiously believing the same to be true.

Dated at this day of 20

Signature of the applicant

Present Address

Signed in the presence of

Signature……..

Designation …….

NOTE :- 1. Every application must be accompanied with the requisite fee in the manner as specified in the notice or advertisement or prospectus for examination .

2. Two copies of a recent bust photograph of the applicant (size 50mm x 65mm) shall accompany the application which shall bear the signature of the applicant on the back .

3. Any, person making a false statement for the purpose of the admission to the examination renders himself liable to prosecution under the applicable laws.

4. Incomplete application is liable to be rejected.

PART V

(Not to be filled by the applicant)

Certified that Mr./Ms. _____has been examined for certificate of proficiency as Boiler Operation Engineer and that he or she has passed/failed in the examination held during _____

Issuance of certificate of proficiency as Boiler Operation Engineer(when certified to have been passed)

Certificate No._____ issued on _____ and duplicate recorded.

(Secretary)

Committee of Examiners

FORM B

(See Rule 39)

Certificate of proficiency as a Boiler Operation Engineer under the Boiler Operation Rules, 2021

No……. of …… 20……..

Mr./Ms…….. aged about…… years, at present residing at …….. upon having satisfied the Committee of Examiners appointed under the Boiler Operation Rules , 2021 of his proficiency to fulfill the duties of a Boiler Operation Engineer is granted under that Rules, this certificate of proficiency authorising him or her to be in-charge of boilers of any type or size provided that all the boilers are situated within a radius of fifty meters

Dated at ….. this …. Day of ……20…….

Secretary

Committee of Examiners

Chairman

Committee of Examiners

PHOTO

Description Roll

1. Date and Place of Birth …….
2. Permanent address ……
3. Nationality ……
4. Height (without shoes) ……
5. Marks of Identification ……
6. Left Thumb impression……
7. Signature of applicant……

[F. No. P-30012/2/2020-Boilers]

SUMITA DAWRA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.